भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1258
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

विधिक सहायता और नालसा योजनाओं का कार्यान्वयन

†1258. एडवोकेट चन्द्र शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2025-26 के दौरान नालसा योजनाओं जैसे कि एसपीआरयूएचए 2025, वीर परिवार सहायता योजना, जागृति 2025 और मानव-वन्यजीव संघर्ष पीड़ित योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई, जिसमें शामिल लाभार्थियों की संख्या (टेली-लॉ के माध्यम से 1.12 करोड़ से अधिक लोगों को कानूनी सलाह प्रदान की गई) तथा न्याय विभाग के आवंटन से वित्तीय उपयोग शामिल है ;

(ख) संघवाद से संबंधित चुनौतियों की रिपोर्टों के मद्देनजर कानूनी सहायता में असमान पहुंच और विलंब के मुद्दों के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ये पहलें किस तरह से विश्व बैंक द्वारा समावेशी विकास के लिए न्याय तक बेहतर पहुँच और आईएमएफ 2025 द्वारा न्यायिक प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के संबंध में उठाए गए सुझावों के साथ मेल खाती हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) द्वारा एस.पी.आर.यू.एच.ए. स्कीम (अदृश्य, पिछड़े और प्रभावित लोगों की क्षमता और लचीलेपन का समर्थन करना), 2025; वीर परिवार सहायता स्कीम, 2025; (जागृति – जमीनी स्तर पर न्याय संबंधी जानकारी और पारदर्शिता पहल) 2025 ; और मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के लिए स्कीम विधिक सहायता योजनाओं के रूप में लागू की जाती हैं, जबकि टेली-लॉ न्याय विभाग की केंद्रीय सेक्टर स्कीम समग्र न्याय तक पहुंच के

लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा) के अधीन एक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से अब तक 1.12 करोड़ हितग्राहियों को वाद-पूर्व परामर्श प्रदान किया गया है ।

नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) की एस.पी.आर.यू.एच.ए. (अदृश्य, पिछड़े और प्रभावित लोगों की क्षमता और लचीलेपन का समर्थन करना) स्कीम, 2025 एक नव-प्रवर्तित पहल है, जिसका उद्देश्य कैदियों, विचाराधीन बंदियों और उनके आश्रितों को व्यापक विधिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करना है, जिसमें पुनर्वास और पुनःएकीकरण पर विशेष बल दिया गया है। यह योजना निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श, जमानत और पैरोल सहयोग, कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने, कारागार और जिला प्राधिकरणों के साथ समन्वय, विधिक जागरूकता और रिहाई के उपरांत सहयोग के माध्यम से विधिक, सामाजिक और आर्थिक संवेदनशीलताओं का समाधान करती है, जिससे पुनः अपराध की प्रवृत्ति कम की जा सके और सामाजिक पुनःएकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) वीर परिवार सहायता स्कीम, 2025, जुलाई 2025 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को विशेष रूप से संपत्ति, पारिवारिक, उपभोक्ता और उत्तराधिकार संबंधी मामलों में समय पर निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करना है । जुलाई 2025 और सितंबर 2025 के मध्य, जिला सैनिक बोर्डों पर स्थापित 417 विधिक सहायता क्लीनिकों के माध्यम से 5,219 हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई । इस अवधि के दौरान 525 अर्धविधिक स्वयंसेवकों और 355 पैनल वकीलों के सहयोग से 692 विधिक सहायता और आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जो स्कीम के शीघ्र क्रियान्वयन और बढ़ते आउटरीच को दर्शाती हैं।

नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) की (जागृति – जमीनी स्तर पर न्याय संबंधी जानकारी और पारदर्शिता पहल) योजना– 2025 का लक्ष्य विधिक सेवा संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन निकायों और सामुदायिक अवसंरचना के साथ एकीकृत कर जमीनी स्तर पर विधिक जागरूकता को सुदृढ़ करना है। जुलाई 2025 और दिसंबर 2025 के मध्य, 690 जिला इकाइयाँ और 2,129 तालुक इकाइयाँ स्थापित की गईं और 35,000 से अधिक स्थायी विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किए गए। कुल 35,24,711 व्यक्तियों को विधिक सहायता और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस स्कीम ने मुख्यतः लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो), बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर दृढ़ ध्यान को दर्शाता है।

नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) की मानव–वन्यजीव संघर्ष पीड़ित स्कीम, 2025 का लक्ष्य वन-सीमा और जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली विधिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है, जिसके अधीन विधिक सहायता, जागरूकता, क्षतिपूर्ति और संबद्ध राहत संविधान के अनुच्छेद 21 और 48क के अनुरूप प्रदान की जाती हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन निर्मित विभिन्न विधिक सहायता सेवाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसम्बर 2025 तक) में आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

रुपए करोड़ में

नालसा (**राष्ट्रीय** विधिक **सेवा प्राधिकरण**) को अनुदान	**नालसा** (**राष्ट्रीय** विधिक **सेवा प्राधिकरण**) द्वारा उपयोगित अनुदान
200.00 (अनुदान सहायता)	144.65
195.84 (विधिक सहायता प्रतिरक्षा कांउसेल प्रणाली स्कीम के अंतर्गत)	194.17

(ख) और (ग) : नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण**)** की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन देशभर में विधिक सहायता के कार्यान्वयन के समन्वय, अनुश्रवण और सुदृढ़ीकरण हेतु की गई थी । नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण**)** एक विकेंद्रीकृत संस्थागत ढांचे के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 707 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा 2,440 तालुक विधिक सेवा समितियाँ शामिल हैं, और यह सहकारी संघवाद की भावना से सभी राज्यों संघ राज्यक्षेत्रों के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है, ताकि विधिक सहायता तक असमान पहुँच और विलंब जैसे मुद्दों का समाधान किया जा सके तथा विशेष रूप से समाज के हाशिए पर स्थित और संवेदनशील वर्गों को विधिक सेवाओं का एक समान, समय पर और समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जा सके ।

नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) द्वारा निर्मित सभी विधिक सहायता गतिविधियाँ और योजनाएँ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं। तदनुसार, अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को नालसा द्वारा किए गए विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से न्याय तक पहुँच प्रदान की जाती है, जिनका लक्ष्य हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए न्याय तक पहुँच में आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करना है।

****